राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, जयपुर राजस्थान के समक्ष

याचिका सं. ....

जेएसडब्ल्यू एनर्जी (बाड़मेर) लिमिटेड (पूर्व में राज वेस्टपॉवर लिमिटेड) के बाड़मेर जिले के भादरेश स्थित 1080 मेगावॉट (8 x 135 मेगावाट) के लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत उत्पादन केन्द्र को वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2025 (इससे आगे ''टैरिफ विनियम'' के रूप में निर्दिष्ट) के विनियम 11 के अन्तर्गत टैरिफ विनिर्धारण हेतु याचिका

के मामले में

तथा

जेएसडब्ल्यू एनर्जी (बाड़मेर) लिमिटेड (पूर्व में राज वेस्टपॉवर लिमिटेड)
कार्यालय सं. 2 एवं 3, 7वीं मंजिल,मान उपासना प्लाजा,
सी–44, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

याचिकाकर्ता

बनाम

1. **जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ (जेविविएनएल)**
   विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर।

2. **अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ (एविविएनएल)**
   ओल्ड पावर हाऊस, हाथी भाटा, अजमेर।

3. **जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ (जेडीविविएनएल)**
   न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर।

प्रतिवादी

माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण,

याचिकाकर्ता सादर निवेदन करता है कि

1. याचिकाकर्ता जेएसडब्ल्यू एनर्जी (बाड़मेर) लिमिटेड (पूर्व में राज वेस्टपॉवर लिमिटेड) (इसके आगे जेएसडब्ल्यू ई. बी. एल. या याचिकाकर्ता के रूप में निर्दिष्ट) कम्पनीज् अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निगमित तथा विद्युत अधिनियम, 2003 (इसके आगे अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 2 (28) के अभिप्राय से एक ''उत्पादन कम्पनी'' है।

2. नोटिसों के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता तथा प्रतिवादियों के पते वाद शीर्षक में यथोल्लिखित हैं।

3. याचिकाकर्ता ने राजस्थान के भादरेश गांव, जिला बाड़मेर में 135 मेगावाट प्रत्येक की 8 इकाइयों वाला 1080 मेगावाट की सकल क्षमता का एक थर्मल विद्युत संयन्त्र स्थापित किया है। विद्युत संयन्त्र बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कम्पनी लि. (बी.एल.एम.सी.एल.) की कपूरड़ी तथा जालिपा लिग्नाइट खानों से लिग्नाइट की अधिप्राप्ति कर संचालित किया जाना अभिकल्पित है। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के साथ एक दीर्धकालीन विद्युत क्रय अनुबन्ध (पी.पी.ए.) (दिनांक 26.10.2006) किया हुआ है, जिसके सन्दर्भ में इस आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत विद्युतापूर्ति हेतु टैरिफ का विनिर्धारण किया जाना है।

4. याचिकाकर्ता ने उत्पादन केन्द्र की सभी इकाइयां पहले से ही कमीशन कर दी हैं और उन इकाइयों की वाणिज्यिक परिचालन की तिथियां निम्नानुसार है :

इकाइयां	वाणिज्यिक परिचालन की तिथि
1	26.11.2009
2	04.10.2010
3	07.11.2011
4	04.12.2011
5	05.02.2013
6	03.03.2013
7	16.03.2013
8	28.02.2013

5. यह ध्यान दिये जाने योग्य है कि याचिकाकर्ता प्रयोज्य टैरिफ विनियमों की अनुपालना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए टैरिफ याचिकायें नियमित रूप से दायर करता रहा है। माननीय आयोग, एमडीओ अर्थात् प्लांट को लिग्नाइट का हस्तान्तरण मूल्य को अंतिम रूप नहीं दिये जाने के कारण टैरिफ के परिवर्तनीय घटक को मंजूरी नहीं मिलने के कारण याचिकाकर्ता को अंतरिम शुल्क वसूलने की अनुमति दे रहा था।

माननीय इस आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए अंतिम अंतरिम टैरिफ दिनांक 26. 03.2021 के आदेश द्वारा दी गई थी।

6.	इस माननीय आयोग ने दिनांक 30 अगस्त 2013 के अपने आदेश द्वारा उत्पादन केन्द्र के लिए अनन्तिम पूंजीगत लागत (''**अनन्तिम पूंजीगत लागत आदेश**'') **5616.54 करोड़ रू.** अनुज्ञात की, जो परियोजना की सी.ओ.डी. के अंकेक्षित लेखों पर आधारित, परियोजना की अन्तिम पूंजीगत लागत के विनिर्धारण के अध्यधीन थी। अनन्तिम पूंजीगत लागत आदेश के कतिपय भागों से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने एक अपील (अपील सं. 284/2013) दायर कर माननीय विद्युत के अपील न्यायाधिकरण (एपटेल) के यहां उपागम किया। माननीय एपटेल ने दिनांक 20.11.2015 के अपने आदेश द्वारा उक्त अपील का निस्तारण किया। उसके पश्चात् याचिकाकर्ता ने दिनांक 20.11.2015 के माननीय एपटेल के आदेश के कतिपय निष्कर्षों व निर्देशों से व्यथित होकर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के यहां (सिविल अपील सं. 7263/2016 वाली) द्वितीय अपील विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 के अन्तर्गत (द्वितीय अपील) दायर की। द्वितीय अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई तथा अधिनिर्णय हेतु लम्बित रखी गयी है।
7.	यह कि माननीय इस आयोग ने दिनांक 24 फरवरी 2016 के अपने आदेश द्वारा अब उत्पादन केन्द्र के लिए 31 मार्च 2014 तक उपगत पूंजीगत व्यय पर आधारित रूपये **5928.75 करोड** की अन्तिम पूंजीगत लागत स्वीकृत की है, जिसको वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2013–14 के लिए अन्तिम टैरिफ विनिर्धारण हेतु दायर की गई विस्तृत टैरिफ याचिका जो कम्पनी के अंकेक्षित लेखों पर आधारित जिसमें वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के लिए एपीआर, ट्रयूअप तथा अनुवर्ती दावे शामिल है, के अंतर्गत पारित किया गया है। स्वीकृत की गयी यह पूंजीगत लागत, उक्त आदेश में यथोल्लिखित पहलुओं पर आगे और संशोधन के अध्यधीन है।
8.	आगे और निवेदन है कि, माननीय आयोग के दिनांक 24 फरवरी 2016 के आदेश के कुछ भागों से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने माननीय एपटेल के समक्ष एक अपील (अपील सं. 107/16) दिनांक 18.04.2016 को दायर की है। उक्त अपील में याचिकाकर्ता ने माननीय एपटेल से उत्पादन केन्द्र/परियोजना की पूंजीगत लागत में पूंजीगत व्यय के कतिपय मदों को सम्मिलित किये जाने का अनुरोध चाहने के साथ ही माननीय आयोग द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2016 के इसके आदेश में ध्यान में न रखे गये/ अनुमोदित न किये गये कतिपय विशिष्ट पहलुओं पर अनुतोष चाहा है।यह अपील माननीय एपटेल के सुनवाई तथा अधिनिर्णय हेतु लम्बित है।
9.	चूंकि परियोजना की अन्तिम पूंजीगत लागत माननीय इस आयोग द्वारा 24 फरवरी 2016 के अपने आदेश द्वारा पहले ही विनिर्धारित कर दी गयी है, इस माननीय आयोग ने 19.05.2016 को सम्पन्न हुयी सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को माननीय आयोग द्वारा 24 फरवरी 2016 के अपने आदेश द्वारा विनिर्धारित अन्तिम पूंजीगत लागत पर आधारित, वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 के लिए संशोधित परिकलन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। ज्ञात हो कि इस अवस्था में, वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए लम्बित याचिका (याचिका सं. 652/2015) जो

	22.03.2016 (अर्थात् दिनांक 24.02.2016 का आदेश पारित किये जाने के बाद) को दायर की गयी थी, माननीय आयोग द्वारा दिनांक 24.02.2016 के आदेश से विनिर्धारित अन्तिम पूंजीगत लागत पर आधारित थी।
10.	उपर्युक्त निर्देशों की अनुपालना में, इस माननीय आयोग की अनुमति लेकर याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2016 के आदेश द्वारा विनिर्धारित अन्तिम पूंजीगत लागत पर आधारित, वित्तीय वर्ष 2014–15 से वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए,अन्तिम टैरिफ विनिर्धारित किये जाने हेतु एक व्यापक टैरिफ याचिका सं. 816／16 दिनांक 19.07.2016 दायर की। उक्त याचिका में दिनांक 31.03.2016 का अन्तरिम टैरिफ आदेश विशिष्ट रूप से जारी रखा गया।
11.	यह कि इस माननीय आयोग ने कम्पनी के अंकेक्षित लेखों पर आधारित, वित्तीय वर्ष 2014–15 से वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए टैरिफ विनिर्धारण हेतु दायर की गयी व्यापक टैरिफ याचिका (याचिका सं. 816／16 दिनांक 19.07.2016) में दिनांक 19 जून 2017 पारित इसके आदेश द्वारा, उत्पादन केन्द्र के लिए 31 मार्च 2017 तक उपगत पूंजीगत व्यय पर आधारित **50.27 करोड़ रू.** का अतिरिक्त पूंजीकरण तथा **5979.02 करोड़ रू.** की अन्तिम पूंजीगत लागत, अनुज्ञात की है।
12.	यह कि याचिकाकर्ता ने एक याचिका, याचिका सं. 816／2016 में दिनांक 19.06.2017 के पारित आदेश की समीक्षा व संशोधन चाहते हुये, दिनांक 30.06.2017 को दायर की। माननीय आयोग ने दिंनाक 04.9.2017 के आदेश द्वारा समीक्षा याचिका का निस्तारण किया। दिनांक 04.09.2017 के आदेश में माननीय आयोग ने इसके समक्ष उठाये गये सभी बिन्दुओं, समायोजन के बिन्दु को छोड़कर, पर दिनांक 19.06.2017 के अपने आदेश की समीक्षा किये जाने से मना कर दिया तथा दिनांक 19.06.2017 के आदेश द्वारा यथा विनिर्धारित टैरिफ तथा अन्तरिम टैरिफ के बीच समायोजन के बिन्दु पर माननीय आयोग ने दिनांक 04.09. 2017 के आदेश में निर्देशित किया कि स्थाई लागत अवयव का समायोजन, याचिकाकर्ता को देय राशियों पर विचार किये जाने के पश्चात 12 माह की अवधि में, आस्थगित भुगतानों पर ब्याज के साथ, किया जाये और परिवर्तनीय लागत का समायोजन चार महीने की अवधि या अन्तिम अन्तरण कीमत विनिर्धारण किये जाने, जो भी पहले हो, तक आस्थगित कर दिया।
13.	यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि 19.06.2017 तथा 04.09.2017 के आदेश के कुछ भागों से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने माननीय एपटेल के समक्ष एक अपील (अपील सं. 365／17) दिनांक 18.09.2017 को दायर की। उक्त अपील में याचिकाकर्ता ने माननीय एपटेल से उत्पादन केन्द्र／परियोजना की पूंजीगत लागत में अतिरिक्त पूंजीगत व्ययों के कतिपय मदों को सम्मिलित किये जाने का अनुरोध चाहने के साथ ही माननीय आयोग द्वारा दिनांक 19. 06.17 व 04.09.2017 के इसके आदेश में ध्यान में न रखे गये／अनुमोदित न किये गये

	कतिपय विशिष्ट पहलुओं जैसे स्टेशन हीट रेट इत्यादि, पर अनुतोष चाहा है। अभी यह अपील अधिनिर्णय तथा निस्तारण हेतु लम्बित है।
14.	आगे और लेख है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 की टैरिफ के लिए 2017 की याचिका सं. 967 दिनांक 18.05.2018 के पारित आदेश के कुछ भागों से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने एक अपील (अपील सं. 216 / 18) दिनांक 06.07.2018 माननीय एपटेल के समक्ष दायर की। उक्त अपील में याचिकाकर्ता ने माननीय एपटेल से उत्पादन केन्द्र / परियोजना की पूंजीगत लागत में अतिरिक्त पूंजीगत व्ययों के कुछ मदों के समावेशन का अनुतोष चाहने के साथ ही स्टेशन ताप दर आदि जैसे कुछ विशिष्ट पहलुओं जिन्हे माननीय आयोग द्वारा दिनांक 18.05.2018 के आदेश में ध्यान में नहीं रखा गया था / अनुमोदित नहीं किया गया था, पर भी अनुतोष चाहा गया था। इस प्रकार यह अपील अधिनिर्णय / निस्तारण हेतु लम्बित है।
15.	आगे और लेख है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 की टैरिफ के लिए 2017 की याचिका सं. 1286 दिनांक 13.06.2019 के पारित आदेश के कुछ भागों से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने एक अपील (अपील सं. 284 / 19) दिनांक 29.07.2019 माननीय एपटेल के समक्ष दायर की। उक्त अपील में याचिकाकर्ता ने माननीय एपटेल से इम्प्यून आदेश को रोकने एवं यह पारित करने की राहत मांगी है कि इम्प्यून आदेश में निष्कर्षण जो संबंधित है (i) पूंजीगत लागत एवं संबंधित मदें (ii) गैर–टैरिफ आय के रूप में इक्विटी पर रिटर्न से किए गए सावधि जमा पर ब्याज का निस्तारण (iii) स्टेशन ताप दर (iv) कपूरड़ी खानों की माइनिंग प्लान जी.सी.वी. को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 2016 के सी.ए. संख्या 7263 के परिणाम के अधीन और इस माननीय अधिकरण के समक्ष लंबित 2016 की अपील संख्या 107, 2017 की 365 और 2018 की 216, के परिणाम के अधीन माना जाये ।
16.	वर्तमान याचिका, याचिकाकर्ता के, माननीय एपटेल के यहां लम्बित अपील सं. 107 / 2016, अपील सं. 365 / 17, अपील सं. 216 / 18 तथा अपील सं. 284 / 19 तथा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के यहां लम्बित द्वितीय अपील (सिविल अपील सं. 7263 / 2016) के अधिकारों तथा दावों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किये बिना दायर की जा रही है और उसके अन्तिम परिणामों के अध्यधीन है।
17.	यहाँ यह उल्लेख किया जाना प्रासंगिक होगा कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंतरिम टैरिफ का आदेश दिनांक 26.09.2018 समय व्यतीत हो जाने के कारण अधिक अवधि के लिए नहीं रह पाया और दूसरी ओर नियन्त्रणावधि 2019–2024 के लिए माननीय आयोग द्वारा टैरिफ विनियम अधिसूचित नहीं किये गये थे, इस प्रकार, याचिकाकर्ता के पास 31.03.2019 के बाद के लिए बिलिंग के प्रायोजनार्थ कोई प्रभावी टैरिफ (अन्तरिम या अन्यथा) उपलब्ध नहीं था, इसलिए, याचिकाकर्ता ने अन्तरिम आधार पर, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अन्तरिम टैरिफ (माननीय आयोग द्वारा दिनांक 26.09.2018 के अपने आदेश द्वारा यथा–विनिर्धारित) की अभिवृद्धि हेतु एक आवेदन 05.04.2019 को दायर किया था ।

18.	इस आवेदन पर माननीय आयोग द्वारा 30.04.2019 को सुनवाई की गयी और दिनांक 01.05.2019 के आदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए माननीय आयोग के अग्रेतर आदेश के अनुसार समायोजन के अध्यधीन अन्तरिम टैरिफ अनुज्ञात करने की कृपा की।
19	माननीय आयोग ने अगली नियन्त्रणावधि वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए आर.ई.आर.सी. (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2019, 10.05.2019 प्रकाशित किये हैं और 27.05.2019 को शासकीय गजट में अधिसूचित कर दिये हैं।
20.	उपरोक्त आधार पर याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के टैरिफ विनिर्धारण के लिए याचिका संख्या 1509/2019 दिनांकित 19.06.2019 दायर की जिसे स्वीकार कर लिया गया है तथा अधिनिर्णय हेतु लंबित है।
21.	याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका संख्या 1583/2019 दिनांक 26.11.2019 को माननीय आयोग के समक्ष दायर की जिसे स्वीकार कर लिया गया है तथा अधिनिर्णय हेतु लंबित है।
22.	माननीय आयोग ने अपने आदेश दिनांक 23.04.2020 के माध्यम से वित्त वर्ष 2020–21 के लिए इस माननीय आयोग के अन्य निर्देशों के समायोजन के अध्यधीन अन्तरिम टैरिफ अनुज्ञात करने की कृपा की।
23.	इसके बाद, याचिकाकर्ता ने इस माननीय आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए याचिका संख्या 1845/2020 दिनांक 26.11.2020 दायर की, जो याचिका स्वीकार कर ली गई है और निर्णय लंबित है।
24.	माननीय आयोग ने दिनांक 26.03.2021 को एक आदेश पारित किया जो याचिकाकर्ता द्वारा शुरू की गई टैरिफ निर्धारण कार्यवाही के लिए नहीं था बल्कि वित्त वर्ष 2011–12 से वित्त वर्ष 2019–20 के लिए कपूरड़ी और जालिपा खानों से लिग्नाइट के हस्तांतरण मूल्य के निर्धारण के मामले था जिसमें याचिकाकर्ता बीएलएमसीएल था और जेएसडब्ल्यूईबीएल को केवल प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में रखा गया था। माननीय आयोग ने उक्त आदेश में, यह निर्देश देते हुए कि याचिकाकर्ता संयंत्र का टैरिफ 31.05.2021 तक ही उपलब्ध होगा, स्थायी शर्तें निर्धारित की है, जिससे, टैरिफ का कोई और विस्तार तब तक नहीं होगा जब तक कि आर.एस.एम.एम.एल से बीएलएमसीएल को खनन पट्टों के हस्तांतरण के संबंध का मुद्दा राजस्थान सरकार और भारत सरकार के बीच हल नहीं हो जाता।
25.	इस माननीय आयोग द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 26.03.2021 से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने एक अपील (2021 की अपील सं. 153 साथ में आई. ए. संख्या 637 एवं 638 अंतरिम राहत की मांग) माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष 06.04.2021 को दायर की। माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 12.04.2021 के द्वारा आर.ई.आर.सी. के आदेश दिनांक 26.03.2021 के विरूद्ध स्थगन प्रदान करने की कृपा की है और

	कहा है कि जब तक लिग्नाइट की आपूर्ति की जा रही है, बिजली का उत्पादन जारी है जो राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम्स को आपूर्ति की जाती है, एडहॉक टैरिफ जारी रहेगा।
26.	याचिकाकर्ता ने वित्त वर्ष 2022–23 के टैरिफ निर्धारण के लिए याचिका संख्या 1963/2021 दिनांक 26.11.2021 को इस माननीय आयोग के समक्ष दायर की जो याचिका स्वीकार कर ली गई, और निर्णय के लिये लंबित है।
27.	याचिकाकर्ता ने वित्त वर्ष 2023–24 के टैरिफ निर्धारण के लिए याचिका संख्या 2063/2022 दिनांक 28.11.2022 को इस माननीय आयोग से समक्ष दायर की जो याचिका स्वीकार कर ली गई है, और निर्णय के लिए लंबित है।
28.	कि याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करता है कि केन्द्र सरकार ने अपने आदेशों 13.07.2022 द्वारा दिनांक 18.05.2016 के अधिक्रमण में आरएसएमएमएल से बीएलएमसीएल के पक्ष में कपूरड़ी एवं जालिपा लिग्नाइट खानों के खनन पट्टों के हस्तांतरण की पुष्टि की है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता सम्मानजनक निवेदन करता है कि, खनन पट्टों की वैधता का मुद्दा अब हल हो चुका है। तद्नुसार, बीएलएमसीएल ने इस माननीय आयोग के समक्ष दिनांक 26.07. 2022 के आवेदन के माध्यम से दिनांक 13.07.2022 के केन्द्र सरकार के आदेश प्रस्तुत किये हैं और माननीय आयोग से अनुरोध किया है कि लिग्नाइट के हस्तांतरण मूल्य के निर्धारण के लिये याचिकाओं को अतिशीघ्र लें एवं हस्तांतरण मूल्य तय करें।
29.	कि उसके बाद खान विभाग, राजस्थान सरकार ने अपने पत्र दिनांक 27.07.2022 द्वारा केन्द्र सरकार के आदेश दिनांक 13.07.2022 पर अमल करते हुए अपने पूर्व आदेश दिनांक 04. 04.2022 एवं 28.04.2022 को भी वापस ले लिया है। उपरोक्त सभी पत्रों की प्रतियाँ बीएलएमसीएल द्वारा इस माननीय आयोग के समक्ष 10.08.2022 को प्रस्तुत की गई हैं।
30.	इसके अलावा, यह अनुरोध किया गया है कि बीएलएमसीएल ने वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2022–23 के लिये क्रमशः कपूरड़ी एवं जालिपा खानों से लिग्नाइट के हस्तांतरण मूल्य के निर्धारण के लिय माननीय आयोग के समक्ष याचिकाये संख्या 2019 की 1510, 1584/2019, 1846/2020 एवं 2021 की 1965 दायर की थी। हालांकि, उपरोक्त याचिकाओं पर माननीय आयोग ने अपील संख्या 137/2018 (अपील सं. 137 में आदेश) में माननीय एपटेल द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2020 की शर्तों के अनुसार लिग्नाइट के अंतरिम हस्तांतरण मूल्य की वसूली की अनुमति देने वाली उपरोक्त याचिकाओं में कोई भी आदेश पारित नहीं किया है ।
31.	अपील संख्या 137 में आदेश के क्रियान्वित नहीं होने से कम वसूली से पीड़ित होकर बीएलएमसीएल ने निष्पादन याचिका संख्या 02/2022 के माध्यम से माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपटेल) से संपर्क किया। यह प्रार्थना की गई कि अपील संख्या 137 कें आदेश का निष्पादन किया जाये और उत्तरदाताओं को वित्त वर्ष 2019–20 से 2022–23 याचिकाकृत मूल्य के 85% की दर लिग्नाइट के तदर्थ अंतरिम हस्तांतरण मूल्य का भुगतान रॉयल्टी, करों एवं शुल्कों से पहले प्लस वास्तविक कर, करने का निर्देश दिया जाये।

32.	माननीय एपटेल ने अपने आदेश दिनांक 07.10.2022 में डिस्कॉम्स के वकील के वचन को निम्नलिखित शब्दों में दर्ज किया हैः “11. कुछ सुनवाई के बाद, वितरण लाइसेंसधारियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि उनके पास यह बताने के निर्देश हैं कि वितरण लाइसेंसधारी आदेश दिनांक 05.02.2020 के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हैं एवं साथ ही साथ लिग्नाइट की अंतरिम हस्तांतरण लागत के 85% की सीमा तक वित्त वर्ष 2018–19 के बाद राज्य आयोग द्वारा (आर.ई.आर.सी.) अंतिम निर्धारण किये जाने तक दायित्व लेते हैं,, हालांकि बिना किसी पूर्वाग्रह के और इस तरह के अंतिम निर्धारण के खिलाफ कानून में समाधान के अधीन और धन वापसी या समायोजन का अधिकार आरक्षित रखते हैं यदि आयोग द्वारा अंतिम निर्धारण के फलस्वरूप हस्तांतरण मूल्य में कमी आती है जो कि अंतःक्रियात्मक व्यवस्था द्वारा निर्धारित है।”
33.	इसके बाद, माननीय एपटेल ने निम्नानुसार निर्देशित किया हैः “12. हम वितरण लाइसेंसधारियों को इन कार्यवाहियों में विद्वान अधिवक्ता द्वारा उनकी ओर से उपरोक्त प्रभाव के लिए प्रस्तुत वचनबद्धता के साथ बाध्य करते है। इस आदेश में आवश्यक अनुपालना चार सप्ताह के भीतर की जायेगी। लाइसेंसधारी सुनवाई की अगली तारीख से पहले सहायक प्रमाण के साथ प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी के प्रबंध निदेशकों के हलफनामों द्वारा अनुपालना को प्रमाणित करेंगे।” 25.11.2022 को सूचीबद्ध हो।
34.	25.11.2022 को माननीय एपटेल ने डिस्कॉम द्वारा किए गए भुगतान के अनुपालन की रिकॉर्डिंग और अंडरटेकिंग देकर निष्पादन याचिका का निस्तारण किया।
35.	इसके बाद, डिस्कॉम ने माननीय एपटेल के आदेश दिनाक 07.10.2022 और 25.11.2023 के विरूद्ध समीक्षा याचिका (2023 की आरपी 20) दायर की और इस माननीय न्यायाधिकरण ने अपने आदेश 10.10.2023 के तहत खारिज कर दिया।
36.	यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रारंभ में माननीय आयोग ने वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 तक नियंत्रण अवधि के लिए आईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 तैयार किया है। इसके बाद, माननीय आयोग ने अपने आदेश दिनांक 21.09.2023 के माध्यम से आईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 में कुछ संशोधन किया है और इसे "आईआरसी (टैरिफ निर्धारण के नियम एवं शर्तें) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2023” कहा गया है। इस विनियम के अनुसार माननीय आयोग ने सभी हितधारकों को सुनने और उनके सुझावों पर विचार करने के बाद आईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 की प्रयोज्यता को एक वर्ष की अवधि के लिए और यानी मार्च 31, 2025 तक बढ़ा दिया है।

37.	तद्नुसार, याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका संख्या 2187/2023 दिनांक 28.11.2023 को इस माननीय आयोग के समक्ष दायर की, जो याचिका स्वीकृत कर ली गई है एवं निर्णय हेतु लंबित है।
38.	तत्पश्चात्, याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका संख्या 2308/2025 दिनांक 03.04.2025 को इस माननीय आयोग के समक्ष दायर की, जो याचिका स्वीकृत कर ली गई है एवं निर्णय हेतु लंबित है।
39.	टैरिफ विनियमों, 2025 के विनियम 6 के अनुसार, याचिकाकर्ता को वार्षिक राजस्व आश्यकता (एआरआर) की मंजूरी के लिए और आगामी वर्ष के लिए टैरिफ का निर्धारण करने के लिए टैरिफ याचिका वर्तमान वर्ष में 30 नवम्बर) तक दायर करना अनिवार्य है। बशर्ते कि प्रत्येक उत्पादन कंपनी द्वारा प्रत्येक उत्पादन स्टेशन/इकाई(यों), लाइसेंसधारी और एसएलडीसी के संबंध में नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए एआरआर के अनुमोदन और टैरिफ के निर्धारण के लिए आवेदन आधिकारिक राजपत्र में इन विनियमों की अधिसूचना के चार सप्ताह के भीतर दायर किया जाएगाः माननीय आयोग ने वित्त वर्ष 2025–26 से वित्त वर्ष 2029–30 तक की नियंत्रण अवधि के लिए आरईआरसी (टैरिफ के निर्धारण के नियम और शर्तें) विनियम, 2025 प्रकाशित किया और 06.03.2025 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया।
40.	उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और टैरिफ विनियमों के अनुपालन में; और जनरेटिंग स्टेशन के सुचारू और निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, याचिकाकर्ता वित्तीय वर्ष 2026–27 के टैरिफ निर्धारण के लिए वर्तमान याचिका दायर कर रहा है।
41.	**स्थाई प्रभारों का विनिर्धारणः**
i.	किसी तापीय विद्युत केन्द्र की टैरिफ में, जैसा कि टैरिफ विनियमों के विनियम 42 (1) में निरूपित है, दो भागों, अर्थात् वार्षिक क्षमता (स्थाई) प्रभार तथा ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभारों का समावेश होता है।
ii.	**पूंजीगत लागतः** याचिकाकर्ता इसके साथ वित्तीय वर्ष 2024–25 (अंतिम वर्ष जिसके अंकेक्षित खाते उपलब्ध हैं) के अंकेक्षित वार्षिक लेखे **अनुलग्नक–03** पर दायर कर रहा है। माननीय आयोग ने दिनांक 24.02.2016 के आदेश द्वारा उक्त आदेश में यथोल्लिखित पहलुओं (जैसे लेनदारों को वास्तविक भुगतान, उपगत किये जाने वाले वास्तविक पूंजीगत व्यय तथा प्रगतिरत पूंजीगत कार्य आदि) पर आगे और संशोधन के अध्यधीन 31 मार्च 2014 तक उपगत पूंजीगत व्यय पर आधारित, उत्पादन केन्द्रों के लिए **5928.75 करोड़ रू.** की पूंजीगत लागत अनुमोदित की है।

	इसके अतिरिक्त माननीय आयोग ने दिनांक 19.06.2017 के आदेश द्वारा उत्पादन केन्द्र के लिए 31 मार्च 2017 तक उपगत पूंजीगत व्यय पर आधारित **50.27 करोड़ रू.** का अतिरिक्त पूंजीकरण तथा कुल **5979.02 करोड़ रू.** की अन्तिम पूंजीगत लागत अनुज्ञात की है। दिनांक 31.03.2014 को उत्पादन केन्द्रों के लिए माननीय आयोग द्वारा यथानुमोदित **5928.75 करोड़ रू.** की पूंजीगत लागत में आयोग के दिनांक 24.02.2016 के आदेश द्वारा तथा **50.27 करोड़ रू.** के पश्चात्वर्ती अतिरिक्त पूंजीकरण माननीय आयोग के दिनांक 19.06.2017 के आदेश द्वारा अनुज्ञात का कुल मिलाकर **5979.02 करोड़ रू.** को वित्तीय वर्ष 2026–27 के टैरिफ परिकलन हेतु ध्यान में रखा गया है।
iii.	**कर्ज साम्यानुपातः** वर्तमान याचिका के प्रयोजनार्थ विनियम 19 के अनुसार परियोजना की कुल लागत की साम्या 25 प्रतिशत तथा कर्ज 75 प्रतिशत पर मानी गयी है।
iv.	**सावधि ऋण पर ब्याज की दरः** याचिकाकर्ता ने सम्बन्धित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं आदि की प्राइम लैंडिंग दरों (पीएलआर)/आधार दर (बीआर)/कोष की सीमांत लागत के आधार पर लैण्डिंग दर (एम.सी.एल.आर) से सहबद्ध स्थाई तथा प्लावी ब्याज दरों पर ऋणों को प्राप्त किया है। टैरिफ विनियमों का विनियम 21 (5) अन्य बातों के साथ यह उपाबन्ध करता है कि ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में वास्तविक ऋण पत्राधान के आधार पर परिकलित ब्याज की भारित औसत दर होगी। चूंकि याचिकाकर्ता वर्तमान टैरिफ याचिका वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए दायर कर रहा है एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, ऋणदाताओं द्वारा 1 अक्टूबर 2025 तक को उनके वित्त पोषण प्रलेखों के अनुसार प्रभारित की जा रही, ब्याज की भारित औसत दर जो **08.51 प्रतिशत** प्रतिवर्ष परिकलित की गई है, (**अनुलग्नक–04** के रूप में संलग्न है) को वर्तमान याचिका में माना गया है।
v.	**ब्याज प्रभार :** वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु ब्याज प्रभारों का परिकलन टैरिफ विनियमों के विनियम 21(3) में यथोपबन्धित ह्रास के बराबर ऋण परिशोधन मानते हुये किया गया है। (विस्तृतियां **अनुलग्नक– 5** पर हैं।)
vi.	**ह्रास प्रभार :** याचिकाकर्ता ने ह्रास, कुल पूंजीगत लागत पर अनुलग्नक–1 में प्रयोज्य दर तथा टैरिफ विनियमों के विनियम 22 (4) के अनुसार माना है। ह्रास प्रभारों का परिकलन तद्नुसार किया गया है। (विस्तृतियां **अनुलग्नक–6** पर है)
vii.	**साम्या पर प्रतिफल तथा आयकर दायित्वः** साम्या पर प्रतिफल टैरिफ विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार 15.00 प्रतिशत माना गया है। (विस्तृतियां **अनुलग्नक–7** पर है)
viii.	टैरिफ विनियमों का विनियम 28 अन्य बातों के साथ– साथ यह प्रावधान करता है कि माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित साम्या पर प्रतिफल के सदृश आय पर कर लाभ–भोगियों से वसूल किया जायेगा। याचिकाकर्ता आयकर अधिनियम की धारा 80 आइए के अन्तर्गत

	इसकी सभी 8 इकाइयों के लिए कटौती का दावा करने के लिए पात्र है। इसको देखते हुए, याचिकाकर्ता के लिए अनुमानित कर की दर मैट है, जो वर्तमान में 17.4720 प्रतिशत है। तद्नुसार, कर सहित साम्या पर प्रतिफल की गणना, 18.1756 प्रतिशत (अर्थात् 15.00 प्रतिशत /(1–17.4720 प्रतिशत) परिकलित की गई है जो टैरिफ नियमन के विनियम 28 के अनुसार अलग अलग डिस्कॉम्स से वसूल किया जायेगा । (विस्तृतियां **अनुलग्नक– 07** पर है।)
ix.	**<u>क्रियान्वयन एवं रखरखाव (ओ. एण्ड एम.) व्ययः</u>** ओ. एण्ड एम. व्यय टैरिफ विनियमों के विनियम 46 (2) के अनुसार माने गये हैं। इसके अलावा टैरिफ विनियमों का विनियम 24(3) उल्लेख करता है कि नियंत्रणावधि के प्रारम्भण पर अनुज्ञात किये गये प्रासंमिक ओ. एण्ड एम. व्ययों को नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये 5.25 प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जायेगा। चूंकि याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका नियत्रंणावधि के द्वितीय वर्ष के लिए दायर कर रहा है, तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए ओ. एण्ड एम. व्यय 34.39 लाख रू. /मेगावाट/वर्ष माने गये हैं।
x.	**<u>विशेष ओ. एण्ड एम.प्रभार :</u>** टैरिफ विनियमों का विनियम 46(4) प्रावधान करता है कि यदि संसाधित जल को 50 किमी से अधिक की दूरी पर परिवाहित करना पड़े तो विवेकी जांच के अध्यधीन, उपयुक्त विशेष ओ. एण्ड एम व्यय निर्धारित प्रासमिक ओ. एण्ड एम. व्ययों के अतिरिक्त अनुज्ञात किये जायेंगे तथा ऐसे विशेष ओ.एण्ड एम. व्ययों में 50 किमी से अधिक दूरी को पाइप लाइनों, जल पम्पिंग केन्द्र परिचालन लागत एवं ऐसे पम्पिंग केन्द्र पर अतिरिक्त विद्युत उपभोग के ओ.एण्ड एम. व्यय शामिल होंगे। याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए विद्युत उपभोग लागत अप्रेल 2025 से सितम्बर 2025 माहों के लिए संदत्त वास्तविक विद्युत प्रभारों के आधार पर अनुमानित की है। याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए विद्युत प्रभार अनुमान पर आधारित **23.85 करोड़** रूपये परिकलित किये हैं। माननीय आयोग ने दिनांक 24.02.2016 के आदेश द्वारा विद्युत प्रभार केवल दो पम्पिंग स्टेशनों यथा सांगद एवं आकल, जो नहर के अर्न्तग्रहण बिन्दु से 50 किमी से अधिक दूरी पर अवस्थित है, के लिए अनुज्ञात किये हैं। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने, तदनुसार, पम्पिग स्टेशन अर्थात् सांगद एवं आकल के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु विद्युत प्रभार **11.39** करोड़ रूपये माने हैं **(विस्तृतियां अनुलग्नक–08 के रूप में संलग्न है)** वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान याचिकाकर्ता ने अर्न्तग्रहण बिन्दु के 50 कि.मी. के अन्दर तथा अर्न्तग्रहण बिन्दु के 50 किमी से अधिक दूरी में आने वाले पाइप लाइन व पम्पिंग स्टेशनों के लिए पृथक ओ.एण्ड एम. ठेका दिया है। याचिकाकर्ता ने तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए अर्न्तग्रहण बिन्दु से 50 किमी से अधिक दूरी में आने वाली पाइपलाइन व पम्पिंग स्टेशनों (आकल एवं सांगद) के ओ. एण्ड एम. व्यय के प्रति **7.27 करोड़** रूपये उन पर, अप्रेल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक उपगत वास्तविक व्यय पर आधारित प्राक्कलित किये हैं। अर्न्तग्रहण बिन्दु से 50 किमी के अन्दर

	तथा अर्न्तग्रहण बिन्दु से 50 किमी से अधिक दूरी वाली पाईप लाइनों व पम्पिंग स्टेशनों पर अप्रेल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक उपगत वास्तविक ओ. एण्ड एम. व्ययों की विस्तृतियां **अनुलग्नक– 09** पर दी गयी है।
xi.	**<u>कार्यशील पूंजी पर ब्याजः</u>** आर.ई.आर.सी. टैरिफ विनियम, 2025 के विनियमन 26(2) में अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि कार्यशील पूँजी पर ब्याज दर मानक आधार पर होगी और इसे 01.04.2025 को टैरिफ अवधि 2026–30 के दौरान वर्ष की 1 अप्रेल को ब्याज की संदर्भ दर (अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की समय–समय पर जारी एक वर्ष की निधि आधारित लेण्डिंग दर (एमसीएलआर)) प्लस 325 आधार अंक) पर माना जायेगा, जिसमें जनरेटिंग स्टेशन या उसकी एक इकाई या ट्रांसमिशन सिस्टम / एसएलडीसी / वितरण प्रणाली, जैसा भी मामला हो, वाणिज्यिक संचालन के तहत घोषित की जाती है, जो भी बाद में हो। उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता ने इस याचिका में 01.04.2025 तक प्रचलित ब्याज दर पर विचार किया है। तद्नुसार, वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज की दर की गणना 01. 04.2025 को प्रचलित एसबीआई एक वर्षीय सीमांत निधि लागत आधारित लैण्डिंग दर (एमसीएलआर) में 325 आधार अंक जोड़कर की गई है, जो आर.ई.आर.सी. टैरिफ विनियम, 2025 के विनियम 26(2) के अनुसार 12.25 प्रतिशत होती है। (विस्तृतियां **अनुलग्नक– 10** पर संलग्न है।)
xii.	**<u>कार्यशील पूंजी की आवश्यकताः</u>** कार्यशील पूंजी की आवश्यकता टैरिफ विनियमों के विनियम 26(1)(1)(a) के अनुसार मानी गयी है। (विस्तृतियां **अनुलग्नक–11** पर संलग्न है)
xiii.	**<u>जल प्रभारः</u>** परियोजना दिनांक 19.02.2007 के जल आपूर्ति समझौते के अनुसार आईजीएनपी नहर से पानी लेती है। जल आपूर्ति समझौते के तहत सहमत दर रू. 20 प्रति 1000 सीएफटी है। आईजीएनपी ने, हालांकि, 14.05.2020 से रू. 250 / – प्रति 1000 सीएफटी की दर से पानी के बिलों को जारी करना शुरू कर दिया था। विरोध करने पर, आईजीएनपी ने 14.05.2020 को अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना पर भरोसा किया और तर्क दिया कि उक्त अधिसूचना के अनुसार जल आपूर्ति समझौते के तहत सहमत जल आपूर्ति शुल्क ओवरराइड हो जाते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने आईजीएनपी द्वारा 250 रूपये प्रति 1000 सीएफटी की दर से उठाए गए बिलों को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका 6519 / 2020 के द्वारा इस आधार पर चुनौती दी है कि दिनांक 14.05.2020 की अधिसूचना याचिकाकर्ता के मामले में लागू नहीं दी होती है।

	माननीय उच्च न्यायालय ने शुरू में अपने आदेश दिनांक 10.08.2020 के द्वारा आईजीएनपी को 20 रूपये प्रति 1000 सीएफटी की दर जो कि जल आपूर्ति समझौते के अनुसार सहमत दर है, से अधिक के जलापूर्ति शुल्क की बिलिंग करने के लिए रोक दिया था। इसके बाद, हालांकि, माननीय उच्च न्यायालय के एकल विद्वान न्यायाधीश ने दिनांक 10.08.2020 के अंतरिम आदेश को 13.09. 2021 को खारिज कर दिया था जिसके कारण 14.05.2020 से आईजीएनपी ने पानी की आपूर्ति के बिलों को 250 रूपये प्रति 1000 सीएफटी की दर से जारी किया। माननीय उच्च न्यायालय के एकल विद्वान न्यायाधीश के आदेश दिनांक 10.08.2020 के अंतरिम आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को 20.10.2021 को निम्नलिखित निर्देशों के साथ बर्खास्त कर दिया गयाः– *"(i) अंतरिम आदेश खारिज रहेगा।* *(ii) आदेश में किये गये अवलोकन केवल अंतरिम स्तर पर मामले से निपटने के उद्देश से हैं और रिट याचिका के अंतिम परिणाम को प्रभावित नहीं करेंगी।* *(iii) इस अपील का निपटान या रिट याचिका के लंबित रहने से अपीलकर्ता–याचिकाकर्ता को जल आपूर्ति समझौते की धारा 8.2 के तहत विवादों के समाधान के लिए राज्य के अधिकारियों से संपर्क करने से नहीं रोका जा सकेगा।* *(iv) यदि अंततः रिट याचिका की अनुमति दी जाती है तो प्रतिवादी अतिरिक्त राशि ब्याज के साथ ऐसी दर पर जो न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है, वापस करेंगे।"* तद्नुसार, दिनांक 14.05.2020 से अब तक की अवधि के लिए रिट याचिका संख्या 6519/2020 के अंतिम परिणाम के अध्यधीन, याचिकाकर्ता ने विरोधस्वरूप पानी के शुल्क 250 रूपये प्रति 1000 सीएफटी के रूप में जमा किया है और जमा करना जारी रखेगा। यदि याचिकाकर्ता सफल होता है तो कानून में बदलाव के तहत कोई दावा टैरिफ के प्रयोजनों के लिए नहीं रहेगा और आईजीएनपी के पास जमा अतिरिक्त धन याचिकाकर्ता को ब्याज के साथ वापस कर दिया जायेगा। हालांकि, यदि याचिकाकर्ता असफल होता है, तो पानी के शुल्क को प्रभावित करने वाले कानून में बदलाव से याचिकाकर्ता की लागत और राजस्व प्रभावित होगा और तद्नुसार याचिकाकर्ता, अपने सम्मानजनक निवेदन में, उक्त राशि को पीपीए के प्रावधानों के अनुसार कानून मुआवजे में बदलाव के रूप में दावा करने का हकदार होगा। याचिकाकर्ता यह सूचना केवल वर्तमान टैरिफ याचिका के साथ माननीय आयोग के समक्ष रख रहा है; और वर्तमान में, आईजीएनपी के पास जमा संविदात्मक दर 20 रूपये प्रति 1000 सीएफटी के अतिरिक्त राशि का मौद्रिक दावा नहीं कर रहा है, जैसा कि पानी का शुल्क लिया जा रहा है। याचिकाकर्ता इस आयोग से स्वतंत्रता चाहता है कि वह अपनी टैरिफ गणना को संशोधित करे/इस माननीय आयोग से एक पृथक याचिका के माध्यम से संपर्क करे यदि रिट याचिका 6519/2020 के अंतिम परिणाम याचिकाकर्ता के खिलाफ हो। जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार ने राजपत्र अधिसूचना दिनांक 21.10.2022 के माध्यम से राजस्थान सिंचाई एवं जल निकसी नियम, 1955 की अनुसूची 1 में संशोधन किया है और वित्तीय

	वर्ष 2022–23 के लिए जल शुल्क रू. 250 प्रति 1000 सीएफटी से बढ़ाकर रू. 275 प्रति 1000 सीएफटी कर दिया है। इसके अलावा, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार ने राजपत्र अधिसूचना दिनांक 13.12.2023 के माध्यम से जल शुल्क की दर 275 प्रति 1000 सीएफटी से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए रू. 302.50 प्रति 1000 सीएफटी एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए रू 332.75 प्रति 1000 सीएफटी कर दी, इसके बाद हर साल इसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
xiv.	**उपलब्धता/संयन्त्र भार धटक (पी.एल.एफ):** टैरिफ विनियमों के विनियम 44 (1)(बी) के अनुसार पूर्ण स्थाई प्रभार की वसूली के लिए नॉरमेटिव अवेलेबिलिटि/प्लान्ट लोड फैक्टर को 78 प्रतिशत पर माना गया है, जिसमें वाणिज्यिक परिचालन तिथि पैरा 4 के अनुसार विचार किया गया है।
xv.	उपर्युक्त घटकों तथा विभिन्न प्रतिमानों व अवधारणाओं (**अनुलग्नक –12** में यथासारांशित) पर आधारित स्थाई प्रभार **858.00 करोड़ रू. वित्तीय वर्ष 2026–27** के लिए, **नॉरमेटिव टारगेट अवेलेबिलिटि/पी.एल.एफ** पर, परिकलित होते हैं। सुसंगत परिकलन **अनुलग्नक–13** पर संलग्न है।
42.	**परिवर्तनीय प्रभारों का विनिर्धारण :**
1.	**प्राथमिक ईंधन:** क. याचिकाकर्ता ने कपूरडी तथा जालिपा लिग्नाइट से संयुक्त रूप से, वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए लिग्नाइट की अन्तरण कीमत बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कम्पनी लिमिटेड (बी.एल.एम.सी.एल.) द्वारा दायर की जा रही याचिका के आधार पर **2759.29 रू./मै. टन** मानी है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने आरईआरसी विनियमन 50(4) के अनुसार तीसरे पक्ष के सैम्पलिंग शुल्क को लिग्नाइट की उतराई लागत के एक हिस्से के रूप में 12.27 रूपये प्रति टन माना है। ख. लिग्नाइट की भारित औसत जी.सी.वी. **2777.04 किलो कैलोरी/किग्रा** कपूरड़ी तथा जालिपा लिग्नाइट से संयुक्त रूप से, वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कम्पनी लिमिटेड (बी.एल.एम.सी.एल.) द्वारा दायर की जा रही याचिका के आधार पर मानी गयी है। ग. याचिकाकर्ता ने लिग्नाइट के लिए सकल स्टेशन ताप दर **2573.18 किलो कैलारी/ के. डब्ल्यू. एच.** माननीय आयोग के आदेश दिनांक 19.06.2017 में अनुमोदित नॉरमेटिव स्टेशन हीट रेट नमी सुधार घटक से पूर्व, के आधार पर मानी है जिसमें विगत तीन महीनों अर्थात् जुलाई, 2025 से सितम्बर, 2025 का वास्तविक भारित औसत नमी अंश **40.20 प्रतिशत** को ध्यान में रखा गया है। इसकी विस्तृतियां याचिका के प्रपत्र सं. 5.1 में दी गयी हैं।

	घ. याचिकाकर्ता ने टैरिफ विनियमों के विनियम 44(5) के अनुसार प्रासमिक चूना पत्थर उपभोग के परिकलन हेतु लिग्नाइट में वास्तविक भारित औसत सल्फर अंश विगत तीन महीनों अर्थात् जुलाई, 2025 से सितम्बर, 2025 का **0.42 प्रतिशत**, का, माना है (अनुलग्नक–14 को देखें)। इसकी विस्तृतियां याचिका के प्रपत्र सं. 5.1 में दी गयी है। ड़. याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए चूना पत्थर की उतराई लागत, जुलाई, 2025 से सितम्बर, 2025 महीने के दौरान क्रय किये गये चूना पत्थर की वास्तविक भारित औसत उतराई लागत के आधार पर **1263.24 रू./मै. टन** मानी है। इसकी विस्तृतियां याचिका के साथ प्रपत्र 5.2 में दी गयी हैं।
2.	**<u>द्वितीयक ईंधनः</u>** क. याचिकाकर्ता ने इकाइयों को चलाने के लिए हल्के डीजल आयल (एलडीओ) को द्वितीयक ईंधन के रूप में माना है। एलडीओ वास्तविक औसत उतराई तक लागत **65673.35 रू./किलोलीटर** वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए विगत तीन महीनों अर्थात् जुलाई, 2025 से सितम्बर, 2025 के दौरान क्रय किये गये एलडीओ की वास्तविक भारित औसत उतराई तक लागत के आधार पर मानी है। इस वास्तविक औसत उतराई तक की लागत को ध्यान में रखते हुये याचिका में ऊर्जा प्रभार के द्वितीयक ईंधन प्रभार धटक का परिकलन, टैरिफ विनियमों के विनियम 44(4) के अनुसार किया गया है। ख. एलडीओ के लिए भारित औसत सकल उष्मीय मान (जी.सी.वी.), वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए सितम्बर, 2025 तक क्रय किये गये एलडीओ के वास्तविक भारित औसत सकल उष्मीय मान (जी.सी.वी.) के आधार पर **9691.41 किलो कैलोरी/लीटर** माना गया है।
43.	उपर्युक्त अवयवों तथा विभिन्न प्रतिमानों व अवधारणाओं (**अनुलग्नक–12** पर यथा सारांशित) के आधार पर **वित्तीय वर्ष 2026–27** के लिए परिवर्तनीय प्रभार प्रेषित किये गये आधार पर **2.9965 रू./ के.डब्ल्यू.एच.** परिकलित होते हैं। सुसंगत परिकलन **अनुलग्नक– 13** पर संलग्न है।

प्रार्थना

44.	यहाँ ऊपर वर्णित कारणों से याचिकाकर्ता माननीय आयोग से सविनय प्रार्थना करता है कि –
(क)	वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए उत्पादन केन्द्र हेतु टैरिफ का विनिर्धारण निम्नलिखित को शामिल करते हुए करें: **i.** **858.00 करोड़ रू.** के स्थाई: तथा **ii.** **2.9965 रू./ के.डब्ल्यू.एच.** परिवर्तनीय (ऊर्जा) प्रभार
(ख)	नार्मेटिव पी.एल.एफ. प्राप्त करने के पश्चात् टैरिफ विनियमों, 2025 के अन्तर्गत पाये जाने वाले प्रोत्साहन का अधिनिर्णय करें, तथा

(ग)	परिवर्तनीय प्रभारों के अंश हेतु आर.ई.आर.सी. विनियम 2025 के विनियम 50 के अनुसार ईंधन कीमत समायोजन (एफ.पी.ए) प्रदान करे, तथा
(घ)	याचिकाकर्ता को इस माननीय आयोग से, पानी के बढ़े हुए शुल्क के कारण कानून मुआवजे में बदलाव/टैरिफ में समायोजन के अपने दावे के न्यायायिक निर्णय के लिए संपर्क करने की स्वतंत्रता प्रदान करे, यदि याचिकार्ता की रिट याचिक सं. 6519/2020 अंततः माननीय न्यायालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाये; तथा
(ड़)	वित्तीय वर्ष 2026–27 के टैरिफ के लंबित रहते हुए उत्पादन स्टेशन के लिए एक उचित तदर्थ अंतरिम टैरिफ का निर्धारण कपूरड़ी एवं जालिपा लिग्नाइट खानों से लिग्नाइट के तदर्थ हस्तांतरण मूल्य के आधार पर ंजो कि रॉयल्टी, करों एवं शुल्कों से पहले,प्लस अनुमत वास्तविक कर पर याचिकाकृत मूल्य का 85% हो, जो कि माननीय एपटेल द्वारा अपील संख्या 137/2018 में पारित आदेश दिनांक 08.08.2018, 05.02.2020 एवं 07.10.2022 और जैसा कि प्रतिवादी डिस्कॉम्स द्वारा भुगतान किए जाने के लिये वचन दिया गया हैके अनुसरण में हो, जो वित्त वर्ष 2026–27 के लिये भी है, जब तक कि लिग्नाइट हस्तांतरण मूल्य का अंतिम निर्धारण ना हो जाये और वर्तमान याचिका का निपटारा इस माननीय आयोग द्वारा कर दिया जाये, प्रतिवादियों को बिजली की आपूर्ति जारी रखने के लिये उपरोक्त (क) के अनुसार उत्पादन केन्द्र के लिए अधिनिर्णीत की जाने वाली टैरिफ के प्रति समायोजन के अध्यधीन ; और/या
(च)	प्रकरण की परिस्थितियों में माननीय आयोग उचित, योग्य एवं उपयुक्त लगने जाने वाले अन्य आदेशों/निर्देशों को पारित करे।

स्थान – जयपुर **कृते जेएसडब्ल्यू एनर्जी (बाड़मेर) लि. (पूर्व में राज वेस्टपॉवर लि.)**

दिनांक –27.11.2025 **याचिकाकर्ता**

टिप्पणी :– भाषान्तरण में मूल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।